

क्रमांक प.2(3)(ब)(3370)आ.कृ./

दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित कृषि पर्यवेक्षकों को उनके कार्यालय की अभिशंषा एवं स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर परीक्षा/साक्षात्कार/काउंसलिंग अवधि के अलावा अन्य कोई अवकाश देय नहीं होने की शर्त पर उनके नाम के सम्मुख अंकित परीक्षा/साक्षात्कार/काउंसलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कृषि पर्यवेक्षक	कार्यालय का नाम	परीक्षा/साक्षात्कार/काउंसलिंग आयोजक का नाम	पद जिसके लिए परीक्षा/साक्षात्कार/काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जानी है।
1.	हीरालाल धोबी	सहा० निदे० कृषि (वि०) कोटड़ी	आर.पी.एस.सी.	स्कूल व्याख्याता (कृषि) भर्ती 2018
2.	मुकेश कुमार कुम्हार	सहा० निदे० कृषि (वि०) कोटड़ी	आर.पी.एस.सी.	स्कूल व्याख्याता (कृषि) भर्ती 2018

उपरोक्त कृषि पर्यवेक्षकों का यदि उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर चयन हो जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह आदेश आयुक्त कृषि से अनुमोदित है।


६०
(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

दिनांक:- 15/2/2021

क्रमांक प.2(3)(ब)(3370)आ.कृ./ 1411-1419

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, आर.पी.एस.सी., अजमेर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) भीलवाड़ा।
3. उप निदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद्, भीलवाड़ा।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सहायक निदेशक कृषि (वि.) कोटड़ी।
6. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक।
7. आरक्षी पत्रावली।


(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)